

अत्यावश्यक / स्पीड पोस्ट

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

प्रेषक : सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान,
जयपुर।

प्रेषिति :

समस्त कुलपतिगण
राजकीय विश्वविद्यालय

क्रमांक: एफ.1(25)आरबी/95/6786

दिनांक 12 अगस्त, 2016

विषय :— अवकाश/ड्यूटी लीब/विदेश यात्रा/दौरे व मुख्यालय छोड़ने हेतु आवेदनों के संबंध में।

संदर्भ :— राज्यपाल का परिपत्र क्रमांक एफ.1(25)आरबी/95/1456, दिनांक 24 फरवरी, 2016 (प्रति संलग्न)

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित परिपत्र दिनांक 24.2.2016 तथा इस विषय में राजभवन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अवलोकन करें।

यह देखा गया है कि कतिपय प्रकरणों में अभी भी कुलपतिगण द्वारा अपना आवेदन उसी दिन अथवा अवकाश/दौरे की दिनांक के पश्चात् प्रस्तुत किया जा रहा है जो अनुचित है।

अतः समस्त कुलपतिगण से पुनः अपेक्षा है कि राज भवन के परिपत्र दिनांक 24.2.2016 के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें तथा अवकाश/ड्यूटी लीब/विदेश यात्रा/दौरे अथवा मुख्यालय छोड़ने के आवेदन यथासमय निर्धारित प्रपत्र में राजभवन को ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत कर दिये जावें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(हरीश कुमार)
विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा

अत्यावश्यक / स्पीड पोस्ट

राज्यपाल सचिवालय
राज भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ.1(25)आरबी/95/१५८६


दिनांक २५ फरवरी, 2016

परिपत्र

राज भवन द्वारा कुलपतिगण द्वारा भेजे गए अवकाश/झूटी लीव/विदेश यात्रा/दौरे व मुख्यालय छोड़ने हेतु आवेदन पत्रों के संबंध में समय—समय पर आदेश जारी किए जाते हैं। पूर्व निर्देशों दिनांक 12.12.2005, 5.3.2007, 27.11.2008, 14.12.2009, 24.10.2013, 16.9.2014, 30.4.2015, 22.6.2015 एवं 27.10.2015 (सुलभ संदर्भ हेतु छाया प्रतियां संलग्न) के कम में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्नांकित निर्देश प्रदान किये गये हैं :—

1. राजकीय कार्य हेतु क्षेत्राधिकार से बाहर भ्रमण करने की अनुमति, मुख्यालय छोड़ने के पूर्व प्राप्त कर ली जावे। किसी भी स्थिति में राज्यपाल सचिवालय को सूचित किए बिना मुख्यालय ना छोड़ा जावे।
2. क्षेत्राधिकार में की गई यात्रा की सूचना/यात्रा कार्यक्रम यथासमय राज भवन को प्रेषित कर दिया जावे।
3. विदेश यात्रा संबंधी आवेदन कम से कम 15 दिवस पूर्व प्रेषित किये जावें तथा कुलाधिपति महोदय की स्वीकृति बिना मुख्यालय नहीं छोड़ा जावे।
4. अवकाश आवेदन/मुख्यालय छोड़ने बाबत आवेदन कम से कम 15 दिवस पूर्व निर्धारित प्रारूप में भेजा जावे तथा सभी कॉलम्स की पूर्ति सुनिश्चित की जावे।
5. आपात स्थिति में मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में ई-मेल/दूरभाष द्वारा सूचित कर ही मुख्यालय से प्रस्थान किया जावे।
6. केवल वही राजकीय यात्राएं की जावे जो विश्वविद्यालय की गतिविधियों से सीधे संबंधित हो तथा विश्वविद्यालय के उन्नयन व शैक्षणिक स्तर को उँचा उठाने में सहयोगी हो।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(श्रेया गुहा)
सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

स्पीड पोर्ट

:: 2 ::

क्रमांक: एफ.1(25)आरबी / 95 / १५८

दिनांक २५ फरवरी, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
2. कुलपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
3. कुलपति, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
4. कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
6. कुलपति, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, मदाऊ, पो० भांकरोटा, जयपुर।
7. कुलपति, सर्वपल्ली डॉ० राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विभिन्न, जोधपुर।
8. कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
9. कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
10. कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विभिन्न, बीकानेर,
11. कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
12. कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
13. कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
14. कुलपति, राजस्थान पशु विजित्सा एवं पशु विज्ञान विभिन्न, बीकानेर।
15. कुलपति, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विभिन्न, जोधपुर।
16. कुलपति, हरिदेव जोशी जनसंचार एवं पत्रकारिता विभिन्न, जयपुर।
17. कुलपति, डॉ० भीमराव अन्वेषकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
18. कुलपति, पं० दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
19. कुलपति, महाराजा सूरज मल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
20. कुलपति, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
21. कुलपति, राजीव गांधी जन जातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर।
22. कुलपति, राजस्थान कीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं।
23. कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जीबनेर।
24. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
25. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।


 (हरीश कुमार)
 विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा

००

24-2-16